बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संoसं09/आ0–06–02/2018 /स्वा0/पटना,दिनांक /डा0 उदय शंकर चौधरी, तत्कालीन सिविल सर्जन भागलपुर सम्प्रति अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना के विरूद्ध बैक द्वारा 4075483/– (चालीस लाख पचहत्तर हजार चार सौ तेरासी रूपये) रूपये के सरकारी राशि का गबन कर सृजन महिला विकास संस्थान के सबौर खाते में जमा किये जाने तथा उक्त राशि का दुरूपयोग करने का आरोप है। उक्त आरोप के लिए विभागीय संकल्प सं0 1008(9) दिनांक 21.09.17 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा दिनाक 5.12.17 को समर्पित अधिगम में आरोप प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 1073(9) दिनांक 26.9.18 एवं 249(9) दिनांक 5.12.19 के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गई। डा0 चौधरी द्वारा दिनांक 24.10.18 एवं 13.3.19 को समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा में अंकित किया गया है कि कालान्तर से प्रक्रियात्मक भूल के बावजूद भी मेरे कार्यकाल तक किसी प्रकार की राजस्व क्षति या अनियमितता नहीं हुई।

अतः आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम एवं डा0 चौधरी द्वारा प्राप्त द्वितीय कारणपृच्छा के प्रत्युत्तर पर विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है:–

(क) संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 584(9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 6/6/2019

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– क्षेत्रीय अपर– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें भागलपुर प्रमंडल भागलपुर/सिविल सर्जन भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– डा0 उदय शंकर चौधरी, तत्कालीन सिविल सर्जन भागलपुर सम्प्रति अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9, एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव